

अपील प्रस्तुत करने के लिए उपरोक्त अधिकारी द्वारा खारीज को बेचान बाबत स्थिति में प्रकरण रिमाण्ड किया जाना के विरुद्ध संभागीय आयुक्त के यहां अपील प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त द्वारा इन्तकाल सं० 605 सही मानते हुये दिनांक 20.01.2018 को अपील खारीज कर दिये जाने का निवेदन करते हुये देवदत्त द्वारा सन् 1985 में डिक्लेरेशन सूट के बाबत का दावा दायर किया जाना व दावा खारीज किये जाने उपरान्त उक्त निर्णय के विरुद्ध माननीय न्यायालय राजस्व अपीलीय अधिकारी अलवर के यहां देवदत्त द्वारा अपील प्रस्तुत किया जाना और उक्त अपील नोट प्रैस में खारीज किये जाने का निवेदन करते हुये। प्रार्थीगण का कब्जा नहीं होना और कब्जा नहीं होने की स्थिति में प्रार्थी ने बिना किसी कारण के बिना कॉज ऑफ एक्शन के प्रार्थना पत्र पेश किया जाना एवं ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने का निवेदन किया।

वकील उभयपक्षकारान की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किये जाने पर दिनांक 06.04.1973 को धूंधा पत्नी छाजिया का रिकॉर्डेड खातेदार नहीं होने की स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र के बाबत कॉज ऑफ एक्शन यह न्यायालय नहीं होना पाता है और जब कॉज ऑफ एक्शन का बिन्दू प्रार्थी के विरुद्ध स्पष्ट रूप से पाये जाने की स्थिति में सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पत्र में नहीं होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित पाया जाता है और जब प्रथम दृष्टया प्रकरण का बिन्दू व सुविधा का संतुलन दोनो ही बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में न होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में स्पष्ट रूप से साबित होने स्थिति में अपूर्णीय क्षति के बिन्दू को भी यह न्यायालय अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित पाये जाने की स्थिति में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को खारीज योग्य पाता है।

-:: आदेश ::-

अतः यह न्यायालय हाल आराजी ख०न० 322 रकबा 1.02 है० वाके ग्राम शामदा तहसील मुण्डावर जिला अलवर के बाबत प्रार्थी के प्रार्थना पत्र


  
जयराज अधिकारी  
(अलवर) 2018

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर  
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :- 27/18

नंदलाल बनाम श्योनारायण  
निर्णय दिनांक :- 27.03.2018

को खारीज योग्य पाये जाने की स्थिति में पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त कर प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 27.03.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से खुल्ले न्यायालय में सुनाया गया।

  
27.03.18  
(महेश चन्द्र मान)  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर  
मुण्डावर (अलावर) जयपुर